न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 84 / 2014

पीठासीन अधिकारी

करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 मन्दिर मूर्ति रघुनाथ जी विराजमान पचलंगी जरिये पुजारी व संरक्षक शीशराम आयु 25 वर्ष पुत्र रामवतार दास जाति स्वामी निवासी पचलंगी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

1 बाबूलाल आयु 55 वर्ष पुत्र मालीराम।
2 कालूराम आयु 35 वर्ष पुत्र बाबूलाल।
3 विक्रम सिंह आयु 30 वर्ष बाबूलाल।
4 दाताराम आयु 28 वर्ष बाबूलाल समस्त जाति मीणा निवासीगण पंचलगी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी उनवानी मुकदमा मन्दिर मुर्ति रघुनाथ बनाम बाबूलाल आदि मु.नं.127 / 2013 प्रार्थना पत्र अ. धारा 183 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम व आडर्निस नं. 7(1978) दिनांक 15.04.2014

उपस्थित

1. श्री सुभाषचन्द्र अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री धर्मवीर अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री मदन सिंह अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 13.11.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 127/2013 में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आडिर्निस नम्बर 7(1978) प्रस्तुत कर भूमि खसरा नम्बर 612 ग्राम पंचलगी का कब्जा दिलाने का अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन खारिज किया है। जिसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी 03.08.2014 को होने पर जानकारी से अन्दर मियाद अपील पेश कर दी है। विवादित भूमि मन्दिर की है अपीलांट के पूर्वजो ने रेस्पोडेंट संख्या 1 को गिरवी रख दी थी धारा 43 (4) के अनुसार गिरवी की अवधि 5 वर्ष होती है धारा 46 में मन्दिर की भूमि गिरवी नही रखी जा सकती है हम मन्दिर के पुजारी है रेस्पोडेंट ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे हम

Lavo
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

पुजारी/संरक्षक नही होना साबित होता हो विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है। अपील स्वीकार कर रेस्पोडेंट को बेदखल कर कब्जा दिलाया जावें। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में ए.आई.आर. 1981 एस.सी. पेज 1400, आर.आर.टी. 2004(1) पेज 375, आर.आर.टी. 2002(1) पेज 648, डी.एन.जे. 2015(4) पेज 1537 के न्यायिक दृष्टात प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया है कि विवादित भूमि मन्दिर की है इसके अलग–अलग जाति के सेवादार है जो कुम्हार, मीणा, जाट है सेवादार मन्दिर की भूमि काश्त करते आ रहे थे और इसी में आबाद हो गये अपीलांट एवं उनके पूर्वज मन्दिर के पुजारी रहे हो ऐसा कोई साक्ष्य अपीलांट ने प्रस्तुत नही किये है मन्दिर के नाम भोग राशि की रसीद भी अपीलांट ने प्रस्तुत नही की है। रिकार्ड में अपीलांट एवं उनके पूर्वजो का नाम नही है धारा 5 के आवेदन के कथन मिथ्या है विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 2004 पेज 708, आर. आर.टी. 2013 (1) पेज 546, आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 117 आर.आर.टी. 2018 (1) पेज 188, आर.एल. डब्ल्यू. 2007 पेज 166 प्रस्तुत किये है।

हमने पत्रावली का अवलोकन एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में मन्दिर श्री रघुनाथजी के नाम दर्ज रिकार्ड है अपीलांट का कथन है कि विवादित भूमि पर अपीलांट पूर्वजो के समय से बतौर पुजारी अधिकारी है एवं रेस्पोडेंट का कब्जा अनाधिकृत है जिसे बेदखल कर अपीलांट ने कब्जा प्राप्ति का अनुतोष चाहा है विचारण न्यायालय एवं अपील न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। जिससे अपीलांट अथवा उसके पूर्वज विवादित भूमि के पुजारी होना साबित होता हो। अपीलांट के पूर्वज

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

द्वारा विवादित भूमि रेस्पोडेंट संख्या 1 को गिरवी रखने का भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टात आर.एल. डब्ल्यू 2007 (1) पेज 167 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि " **c.p.c., sec. 100- shebait- Whether his rights and obligations are transfer- able?- Held- No part of rights and obligations of Shabait are transferable to pujari – When the appointment of pujari has been at the will of the founder, the mere fact that appointees have performed worship for several generations will not confer an independent right upon members of his family so appointed and will not entitle them as of right to be continud in office as pujari.** "

उपरोक्त विवेचन के आधार पर एंव प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत पाया जाता है अत अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(करतार सिंह पूनिया)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर